पंजीकरण सं. आर.एन. 40596/83 डाक पंजी. संख्या-जी-3-डी.एल. (एन.)/084/2015-17 प्रकाशित: 01.08.2016 इस अंक का मल्य 2 रुपये

॥ ओ३म् ॥

युवा उद्घोष

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् (पंजीकृत) का पाक्षिक शंखनाद

Join—http://www.facebook.com/groups/aryayouth/

कार्यालय : आर्य समाज कबीर बस्ती, दिल्ली-110007, चलभाष : 9810117464, 9868002130

डा. अनिल आर्य
27 अगस्त को अलवर में

आर्य कन्या विद्यालय, अलवर के नये भवन के शिलान्यास समारोह में शनिवार, 27 अगस्त 2016 को प्रातः 11.30 बजे श्री सज्जनसिंह कोठारी, श्री सुरेशचन्द आर्य, डा. अनिल आर्य भाग लेगे।

—प्रदीप आर्य

वर्ष-33 अंक-5 श्रावण-2073 दयानन्दाब्द 192 01 अगस्त से 15 अगस्त 2016 (प्रथम अंक) कुल पृष्ठ 4 वार्षिक शुल्क 48 रु.
प्रकाशित: 01.08.2016, E-mail : yuva.udghosh1982@gmail.com aryayouthgroup@yahoogroups.com Website : www.aryayuvakparishad.com

उदयपुर, राजस्थान के नवलखा महल में ''आर्य सम्पादक सम्मेलन'' सोल्लास सम्पन्न

आर्य समाज का अपना टी. वी. चैनल, दैनिक समाचार पत्र और रेडियो हो- अनिल आर्य

युवा उद्घोष के गत 33 वर्षो से सम्पादक डा.अनिल आर्य का अभिनन्दन करते स्वामी आर्यवेश जी,सांसद स्वामी सुमेधानन्द जी व द्वितीय चित्र में—कार्यक्रम के संयोजक श्री अशोक आर्य का अभिनन्दन करते डा.अनिल आर्य,स्वामी आर्यवेश जी,स्वामी सुमेधानन्द जी व श्री सत्यव्रत सामवेदी।

उदयपुर। श्रीमद् दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास के तत्वावधान में 23 व 24 जुलाई 2016 को ''आर्य सम्पादक सम्मेलन'' का भव्य आयोजन नवलखा महल के सभागार में किया गया। जिसमें आर्य जगत के 27 पत्रों के सम्पादक सम्मिलित हुए। आर्य केन्द्रीय सभा दिल्ली के प्रधान महाशय धर्मपाल जी (एम.डी.एच.) ने समारोह का उद्घाटन किया। स्वामी सुमेधानन्द जी (सासंद,सीकर) ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की व कुशल संचालन न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक आर्य ने किया। इस अवसर पर सार्वदेशिक सभा के प्रधान स्वामी आर्यवेश जी, श्री सत्यव्रत सामवेदी, युवा उद्घोष के सम्पादक व परिषद् अध्यक्ष डा. अनिल आर्य, वैदिक विद्वान पं. जवलन्त कुमार शास्त्री, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के मन्त्री श्री एस.के.शर्मा, श्री विरजानन्द, ब्र. दीक्षेन्द्र, श्री मोतीलाल आर्य, आचार्या सूर्यादेवी चतुर्वेदा, आचार्य रामनिवास गुणग्राहक (गुरूकुल कुरूक्षेत्र), पं. संजय सत्यार्थी (बिहार), आचार्य भानुप्रताप वेदालंकार (इन्दौर), श्री वेदप्रकाश शर्मा (हिन्द प्रहरी), श्री प्रभाकरदेव आर्य (हिण्डौन) श्रीमती मंजु शर्मा (सम्पादक, संस्कृत संवाद), श्री रामस्वरूप रक्षक (सम्पादक, वेद मार्ग), श्री त्रिभुवन (ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर), श्री भवानीदास आर्य (मन्त्री न्यास), श्री सहदेव समर्पित (सम्पादक, शान्ति धर्मी), श्री संगीत शर्मा (मुम्बई), श्री विनय आर्य (दिल्ली) आदि ने अपने विचार रखे। डा. अनिल आर्य ने 1970 अलवर आर्य महासम्मेलन, 1981 उदयपुर सत्यार्थ प्रकाश शताब्दी, जयपुर सम्मेलन की चर्चा करते हुए कहा कि आज सशक्त मीडिया का युग है, आर्य समाज का अपना टी.वी.चैनल, रेडियो व दैनिक समाचार पत्र होना चाहिये तभी हम अपनी बात लोगों तक पंहुचा सकते है।

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के तत्वावधान में ''शहीद स्मृति यज्ञ ''जन्तर मन्तर'' पर सम्पन्न

पाक अधिकृत कश्मीर खाली करवाया जाये- आर्य नेता अनिल आर्य

मंगलवार, 26 जुलाई 2016, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् नई दिल्ली के तत्वावधान में 17वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ''जन्तर मन्तर'' पर परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अनिल आर्य के नेतृत्व में ''शहीद स्मृति यज्ञ'' का आयोजन कर कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर सैंकड़ों आर्य समाजियों ने पहुॅच कर देश की एकता व अखण्डता की रक्षा का संकल्प लिया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को खाली करवाने की केन्द्र सरकार से मांग की गई।

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अनिल आर्य ने कहा कि जब यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत में आंतकवादी गतिविधियों में व कश्मीर में अलगाववाद के पीछे पाकिस्तान प्रायोजित आंतकवाद का हाथ है, अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह अब पाकिस्तान को उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाये। समय की मांग है कि सरकार आंतकवादियों व उनके मददगारों को सख्ती से कुचले, देश की रक्षा की कीमत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आंतकवादियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाये। उन्होंने कहा कि आंतकवाद की जननी पाकिस्तान जब तक दुनियां के नक्शे में रहेगा, तब तक विश्व में शान्ति स्थापित नहीं हो सकती। युवा पीढ़ी को आह्वान किया कि आंतकवादियों का मुंह तोड़ उतर देने के लिए आगे आये। डा. आर्य ने केन्द्र सरकार से मांग की कि कारगिल के शहीदों की याद में दिल्ली में एक स्मारक बनाया जाये, जिससे उनके बलिदान से युवा पीढ़ी प्रेरणा ले सके।

यज्ञ के ब्रह्मा आचार्य गवेन्द्र शास्त्री, परिषद् के दिल्ली प्रदेश संचालक रामकुमारसिंह आर्य, परिषद् के राष्ट्रीय मंत्री प्रवीन आर्य, आर्य नेता देवेन्द्र भगत, महावीरसिंह आर्य, प्रकाशवीर शास्त्री, शिवम शास्त्री, अरूण आर्य, विश्वनाथ आर्य, अनिल हाण्डा, सुषमा शर्मा, शिशुपाल आर्य, शिवम मिश्रा, सुदेश भगत, मुकेश पवार, वेदप्रकाश आर्य, राजेन्द्र सिंह, ओमवीरसिंह, रविप्रकाश आदि ने भी अपने विचार रखे। प्रधानमन्त्री के नाम ज्ञापन भी दिया गया।

लगता है समान नागरिक कानून का सपना पूरा हो जाएगा

–अवधेश कुमार

आजादी के बाद पहली बार समान नागरिक संहिता की ओर ठोस कदम बढ़ाया गया है। कानून मंत्रालय ने विधि आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर सामान नागरिक संहिता लागू करने के तरीकों पर सलाह मांगी है। विधि आयोग निश्चय ही संबंधित पक्षों और विशेषज्ञों का पक्ष सुनकर अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा जिससे आगे की दिशा तय होगी। हालांकि इसके पीछे पिछले साल से अभी तक उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार से उसका पक्ष मांगने का दबाव है। ईसाई धर्म मानने वाले एक व्यक्ति ने पिछले साल अक्टूबर में उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल कर ईसाइयों के तलाक अधिनियम को चुनौती दी थी। उसका कहना था कि ईसाई दंपति को तलाक लेने से पहले दो वर्ष तक अलग रहने का कानून है जबकि हिन्दू कानून और अन्य कानूनों में यह अवधि छह–छह महीने मिला कर कुल एक वर्ष की है। इस मामले में समान नागरिक संहिता की बात उठी और उच्चतम न्यायालय ने सरकार से इस बारे में रुख साफ करने को कहा था। इसके बाद न्यायालय में मुसलमानों में प्रचलित तीन तलाक और चार शादियों का मुद्दा आ गया। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिकाएं आती रही हैं लेकिन न्यायालय उन पर यह कहते हुए विचार करने से मना करता रहा है कि कानून बनाना सरकार का काम है और न्यायालय सरकार को कानून बनाने का आदेश नहीं दे सकता। लेकिन कोई पीड़ित अगर न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तो न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा। जनहित याचिका और पीड़ितों द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में मौलिक अंतर है। ईसाई तलाक कानून और मुस्लिम तीन तलाक के मामले में पीड़ित न्यायालय में आए हैं।

उत्तराखंड की एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शायरा बानो ने सम्मान से जीवन जीने के मौलिक अधिकार की दुहाई देते हुए शरीयत के प्रावधानों को चुनौती दी है। महिला ने याचिका में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आने वाले तलाक–ए–बिदत, निकाह हलाला और बहुविवाह प्रथा गैरकानूनी हैं। तलाक–ए–बिदत में तीन बार तलाक–तलाक कहकर रिश्ता तोड़ना तथा निकाह हलाला में तलाकशुदा पति से दोबारा शादी करने पर तब तक रोक है जब तक महिला किसी दूसरे पुरुष से निकाह कर तलाक नहीं लेती। उसने एक सम्मानजनक जिंदगी जीने, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव मिटाने की गुहार लगाई है। हर नागरिक को मौलिक अधिकारों के हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है और उसके अधिकारों की रक्षा करना न्यायालय का कर्तव्य है। वैसे शायरा बानो की याचिका के अलावा मुस्लिम महिलाओं के हक पर उच्चतम न्यायालय ने 16 अक्टूबर 2015 को स्वयं संज्ञान ले लिया था। उसने अटार्नी जनरल व नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। हालांकि मुसलमानों के धार्मिक संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले की तरह ही विरोध किया। दोनों ने शीर्ष न्यायालय में कहा कि न्यायालय पर्सनल लॉ के मुद्दे पर विचार नहीं कर सकता। किंतु यह जनहित याचिका नहीं है जिसमें उनकी दलील चल जाए। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम महिलाओं के हक पर सुनवाई आरंभ कर दिया है।

इस तरह तीन तलाक, हलाला तथा पत्नी के होते हुए मुस्लिम पुरुष के विवाह करने के मामले में मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों के हनन का मुद्दा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दूसरे शब्दों में कहें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) के प्रावधान तीन तलाक, हलाला और बहु विवाह को उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों की कसौटी पर परखने की दिशा में आगे बढ़ गया है। न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव को मिटाने की जरूरत है और इसके लिए कानून में बदलाव समय की मांग है। न्यायालय ने यह भी साफ किया कि यह सिर्फ नीति का नहीं, बल्कि मूल अधिकारों से जुड़ा मामला है। न्यायमूर्ति ए आर दवे और न्यायमूर्ति एके गोयल की पीठ ने मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू से गुजारिश की है कि वह एक पीठ का गठन करके मुस्लिम पर्सनल लॉ में लैंगिक समानता के मुद्दे का समाधान संविधान की तर्ज पर करें, जो लिंग के आधार पर विभेद को प्रतिबंधित करता है।

तो इस बार गेंद केवल सरकार के यानी राजनीतिक प्रतिष्ठान के पाले में नहीं है कि दबाव डालकर इसे रुकवाने की कोशिश की जाए। मामला उच्चतम न्यायालय का है जिसने केन्द्र सरकार यानी राजनीतिक प्रतिष्ठान से उसका मत मांगा है। अगर केन्द्र सरकार समान नागरिक संहिता का कोई प्रारुप लेकर आती है और उच्चतम न्यायालय को स्वीकार होता है तो वह उसे ही लागू करने का आदेश दे सकता है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह कानून बन जाएगा और पर्सनल कानून समाप्त हो जाएंगे। यह भी हो सकता है कि सरकार न्यायालय में प्रारुप देने के साथ संसद में विधेयक पेश करे और उस पर बहस हो। इस समय जो स्थिति है उसमें इस मुहिम के रुकने की संभावना कम दिख रही है। न्यायमूर्ति दवे और न्यायमूर्ति गोयल की पीठ ने यह प्रश्न भी उठाया कि संविधान में जब सबको बराबरी का अधिकार दिया गया है तो मुस्लिम महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव क्यों हो रहा है। इन्होंने बेलाग शब्दों में कहा कि मनमाने तलाक और पहली शादी बने रहने के दौरान पति अगर दूसरा विवाह कर लें तो उसके खिलाफ कोई सुरक्षा उपाय न होने से इन महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पाती। इस बार 1985 वाले शाहबानो मामले की पुनरावृत्ति की संभावना भी नहीं है। मध्यप्रदेश के इंदौर की रहने वाली पांच बच्चों की मां 62 वर्षीय मुस्लिम महिला शाहबानो को उसके पति मोहम्मद खान ने 1978 में तलाक दे दिया था। शाहबानो की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने उसके पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। फैसले के बाद पूरे देश में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सड़कों पर आ गया। राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिला (तलाक में संरक्षण का अधिकार) अधिनियम, 1986 पारित कर दिया। हालांकि बाद में उच्चतम न्यायालय ने ऐसे ही डेनियल लतीफी और शमीमा फारुखी के दो मामलों में शाहबानो मामले का हवाला दिया तथा मुस्लिम महिलाओं के (तलाक पर संरक्षण के अधिकार) अधिनियम,1986 को अस्वीकार कर दिया।

समान नागरिक संहिता के बारे में कई गलत धारणाएं भी बनाई गईं हैं। ठीक है कि इसके बाद भारत के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वह जिस किसी धर्म के हों, एक ही प्रकार का नागरिक कानून होगा। लेकिन यह चार मामलों से ही जुड़ा है– शादी, तलाक, गोद लेना और जायदाद के बंटवारा यानी उत्तराधिकार। कट्टरपंथियों ने आरंभ से ही यह गलत बात फैलाया है कि इससे मुसलमानों पर जबरन उनके मजहब के विरुद्ध कानून बनाकर थोपा जाएगा या हिन्दू कानून लागू कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। यह किसी धर्म में हस्तक्षेप का मामला है ही नहीं। यह सिविल यानी नागरिक कानूनों का मामला है। ऐसे कानून विश्व के अधिकतर आधुनिक देशों में लागू हैं। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 44 में भी कहा गया है कि सरकार सबके लिए समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश करेगी। 1956 में हिंदू विवाह कानून, उत्तराधिकार कानून, नाबालिग एवं अभिभावकत्व कानून और गोद लेने तथा गुजारा भत्ता कानून लागू करते समय भी इसकी बात कही गई। उस समय कांग्रेस के ही कई नेताओं, खास तौर से महिला सांसदों ने कहा था कि इससे यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। हिंदू फैमिली लॉ या परिवार कानून 1950 के दशक में संशोधित कर दिया गया था, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के सामने मुस्लिम नेता लंबे समय से खड़े हो जाते रहे हैं। इस कारण सरकारें इसे लागू करना तो छोड़िए इसका कोई प्रारुप बनाने तक से बचती रही है। समान नागरिक संहिता पर संविधान सभा में जब बहस हो रही थी तो भी पर्सनल लॉ का मुद्दा उठा था। कई लोगों ने उसमें महत्वपूर्ण भाषण दिया था। उदाहरण के लिए केएम मुंशी ने कहा था कि लोग समझते हैं कि विरासत और उत्तराधिकार उनके धर्म का हिस्सा है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो आप महिलाओं को कभी बराबरी का हक नहीं दे पाएंगे। आप पहले ही ऐसा हक देने वाला मौलिक अधिकार पास कर चुके हैं, जिसमें कहा गया है कि धर्म, पंथ, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर्सनल लौ इस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है।

इस बार उच्चतम न्यायालय ने भी इस सोच को अपनाया है और उम्मीद करनी चाहिए कि संभवतः समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आ जाएगा। भले उसका स्वरुप और नाम कुछ और हो सकता है।

– ई.: 30, गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्पलेक्स, दिल्ली–110092,
दूर.:01122483408,09811027208

श्री हरबंसलाल कोहली का सार्वजनिक अभिनन्दन

भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के तत्वावधान में शनिवार, 13 अगस्त 2016 को प्रातः 10.30 बजे से 1.30 बजे तक आर्य समाज,मालवीय नगर,नई दिल्ली में किया जायेगा ।

–चतरसिंह नागर, संयोजक

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल आर्य के नेतृत्व में

जहां नहीं होता कभी विश्राम • आर्य युवक परिषद् है उसका नाम

युवा संस्कार अभियान

गांव, गली, चौराहे पर, घर-घर यज्ञ रचायेंगे, धरती को स्वर्ग बनायेंगे

ओ३म् बलमुपास्व

12 से 25 वर्ष तक के 5000 युवाओं को यज्ञोपवीत से दीक्षित करने का संकल्प

10 दिन में 34 कार्यक्रम : दिनांक 12 अगस्त 2016 से 21 अगस्त 2016 तक

1. शुक्रवार, 12 अगस्त 2016, प्रातः 8.30 बजे
स्थान: विजय हाई स्कूल, सिक्का कॉलोनी, सोनीपत
संयोजक: श्रीमती शालिनी चावला, श्री मनोहरलाल चावला
सम्पर्क: 09813442701, 09813514699

2. शुक्रवार, 12 अगस्त 2016, सायं 5 बजे
स्थान: आर्य समाज छत्तरपुर, नई दिल्ली संयोजक: अनुराग आर्य-9560331990

3. शनिवार, 13 अगस्त 2016, प्रातः 9 बजे
आर्य समाज, प्रताप नगर (अन्धा मुगल), दिल्ली-110007
संयोजक: श्री केवलकृष्ण सेठी, पी.डी. शर्मा, गुलशन कुमार
सम्पर्क: 08010986707, 23690497

4. शनिवार, 13 अगस्त 2016, प्रातः 9:00 बजे
स्थान: आर्य समाज मवाना, उत्तर प्रदेश
दोपहर 2 बजे ग्राम झिंझरपुर, तहसील मवाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश
संयोजक: श्री शिशुपाल आर्य **सम्पर्क:** 08882652180, 9971550031

5. शनिवार, 13 अगस्त 2016, सायं 5.00 बजे
स्थान: शिवपुरी, समयपुर, दिल्ली-110042
संयोजक: श्री कमल आर्य, **सम्पर्क:** 9968519292, 9587371404

6. रविवार, 14 अगस्त 2016, प्रातः 8 बजे
आर्य समाज महावीर नगर (तिलक नगर), नई दिल्ली-110018
संयोजक: श्री राजपाल पुलियानी, श्री दिनेश आर्य, श्री मायाराम शास्त्री
संम्पर्क: 011-25997960, 9213637558, 9873107410

7. रविवार, 14 अगस्त 2016, प्रातः 8 बजे
स्थान: आर्य समाज संदेश विहार, पीतमपुरा, दिल्ली-34
संयोजक: श्रीमती सीमा कपूर, दुर्गेश आर्य, देव मित्र आर्य, वरुण आर्य
सम्पर्क: 9968850921, 9868664800, 9313199062

8. रविवार, 14 अगस्त 2016, प्रातः 8 बजे
स्थान: महर्षि दयानन्द वाटिका, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद- फोन 9810493055
विनोद त्यागी-9818376082, विजय आर्य-9310118371, यज्ञवीर चौहान

9. रविवार, 14 अगस्त 2016, प्रातः 10.00 बजे
आर्य समाज शाहबाद मोहम्मद पुर, सामने इन्द्रा गांधी एयरपोर्ट, नई दिल्ली
डॉ. मुकेश सुधीर-9268103480, श्री जगवीरसिंह आर्य-9350099545

10. रविवार, 14 अगस्त 2016, सायं 4 बजे
अरिहन्त चौक, प्लाट-16, सैनिक एनक्लेव, सैक्टर-3, मोहन गार्डन, दिल्ली-59
संयोजक: श्री मानवेन्द्र शास्त्री-9213326949, विमल आर्य-9990907638

11. सोमवार, 15 अगस्त 2016, प्रातः 9 बजे
स्थान: आर्य समाज वजीरपुर जे.जे. कॉलोनी, दिल्ली-52
संयोजक: श्री प्रेमपाल शास्त्री, भूदेव आर्य, संतोष शास्त्री, वीरेश आर्य
संम्पर्क: 09868977371, 9868754140, 9868992898

12. सोमवार, 15 अगस्त 2016, प्रातः 9 बजे
शक्ति पीठ पब्लिक स्कूल, एस.जी.एम. नगर, सै. 48, फरीदाबाद
संयोजक: श्रीमती ज्योति आर्या, श्री सत्यभूषण आर्य-09818897097

13. सोमवार, 15 अगस्त 2016, प्रातः 11 बजे
आर्य समाज सुभद्रा कालोनी, सराय रोहिल्ला, दिल्ली-35
पीताम्बर बाली, संजीव आर्य, राकेश आर्य-8802630526, गौरव आर्य

14. सोमवार, 15 अगस्त 2016, दोपहर 3 बजे
आर्य समाज सूर्य निकेतन, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
संयोजक: श्री यशोवीर आर्य-9312223472, विकास गोगिया, शिवम मिश्रा

15. मंगलवार, 16 अगस्त 2016, प्रातः 8.30 बजे
स्थान: श्रद्धा मन्दिर हाई स्कूल, भारत कालोनी, सेक्टर-87, फरीदाबाद
संयोजक: डॉ. गजराज सिंह आर्य, **सम्पर्क-** 09213771515, 8750771515

16. मंगलवार, 16 अगस्त 2016, प्रातः 8 बजे
आर्य समाज कबीर बस्ती पुरानी सब्जी मण्डी, दिल्ली-110007
संयोजक: देवेन्द्र भगत, रामचन्द्र सिंह, विकास आर्य-8287702368

17. मंगलवार, 16 अगस्त 2016, सायं 4 बजे
वरिष्ठायन, आदर्श मार्केटिंग, सेक्टर-5 राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद
संयोजक: श्री के.के. यादव, प्रमोद चौधरी, रामकुमार महेरिया, सुरेश आर्य
सम्पर्क: 09312248396, 9873391114, 9810189585

18. मंगलवार, 16 अगस्त 2016, सायं 6.00 बजे
पार्क, निकट टी-658, मंगोलपुरी, दिल्ली-83
संयोजक: श्री धर्मपाल आर्य, जगदीशशरण आर्य, महेन्द्र टांक, प्रदीप आर्य
सम्पर्क: 9871581398, 9268342390, 9868995977, 8447091827

19. बुधवार, 17 अगस्त 2016, प्रातः 8:30 बजे
स्थान: आर्य समाज ब्रह्मपुरी, उस्मानपुर, दिल्ली-53
संयोजक: श्री सुन्दर शास्त्री सम्पर्क: 8130404584

20. बुधवार, 17 अगस्त 2016, सायं 5 बजे
पी-4 ब्लाक, एन.डी.पी.एल. ऑफिस जगदम्बा मार्केट,सुल्तान पुरी,दिल्ली-86
संयोजक: श्रीमती राधा भारद्वाज, दशरथ भारद्वाज
सम्पर्क: 09868026474, 07840861115

21. बृहस्पतिवार, 18 अगस्त 2016, प्रातः 8:30 बजे
स्थान: आर्य समाज, ग्राम-टीला, जिला- गाजियाबाद
संयोजक: श्री अजय आर्य 'पथिक'-932682559, यश आर्य-8802108848

22. बृहस्पतिवार, 18 अगस्त 2015, सायं 4 बजे
स्थान: आर्य समाज जगदीशपुर, समस्तीपुर, बिहार
आचार्य चन्द्रमित्र विद्यावारिधि, रमेश प्रसाद, सम्पर्क: 09006833843

23. बृहस्पतिवार, 18 अगस्त 2016, सायं 6 बजे
आर्य समाज टैगोर गार्डन विस्तार, ए.डी. 17-18, दिल्ली-110027
संयोजक: श्री अशोक आर्य, श्री संदीप कुमार आर्य, पं. सुरेश झा
संम्पर्क: 09213616702, 9811035407, 9871208423

24. शुक्रवार, 19 अगस्त 2016, प्रातः 9 बजे
अचिवमेन्ट ऐकेडमी ई-3,100 फुटारोड, वेस्ट ज्योतिनगर, दुर्गापुरी चौक, शाहदरा
संयोजक: श्री वेदप्रकाश आर्य, देवप्रिय आर्य, रामदेव, प्रभुनाथ सिंह
संम्पर्क: 09810487559, 9990098694

25. शुक्रवार, 19 अगस्त 2016, सायं 5 बजे
आर्य संन्यास आश्रम, दयानन्द नगर, गाजियाबाद,
संयोजक: श्री प्रवीण आर्य-9911404423, श्री जितेन्द्र आर्य-8505898989

26. शनिवार, 20 अगस्त 2016, प्रातः 9 बजे
स्थान: मूर्तिदेवी आर्य पब्लिक स्कूल, के-160 जहांगीरपुरी, दिल्ली-33
संयोजक: श्री गजेन्द्र आर्य, **सम्पर्क:** 9899371842, 9868227191

27. शनिवार, 20 अगस्त 2016, सायं 5 बजे
स्थान: डीडीए पार्क पुलिस कालोनी, सेक्टर ए-5, नरेला दिल्ली-110040
संयोजक: श्री अनुज आर्य, श्री माधव सिंह, कुलदीप आर्य
सम्पर्क: 9716114610, 8882445109, 9210028442

28. रविवार, 21 अगस्त 2016, प्रातः 8 बजे
स्थान: आर्य समाज हापुड़, उत्तर प्रदेश
संयोजक: श्री आनन्द प्रकाश आर्य, श्री विकास अग्रवाल
सम्पर्क: 09837086799, 9837791132

29. रविवार, 21 अगस्त 2016, प्रातः 9 बजे
सरकारी कर्मचारी परिसर, सेक्टर-3, द्वारका, डीपीएस के सामने, दिल्ली
जीवन शास्त्री: 9868072383, रमेश योगाचार्य, शांता तनेजा: 9891555149

30. रविवार, 21 अगस्त 2016, प्रातः 9.00 बजे
आर्य समाज, स्वामी श्रद्धानन्द पार्क, भलस्वा डेयरी, दिल्ली-110042
संयोजक: श्री नन्दलाल शास्त्री, श्री हरपाल प्रधान, श्री मुन्ना चौधरी
संम्पर्क: 09868558698, 8470857074

31. रविवार, 21 अगस्त 2016, प्रातः 9 बजे
आर्य समाज जानीपुर कालोनी जम्मु, संयोजक: सुभाष बब्बर-9419301915

32. रविवार, 21 अगस्त 2016, प्रातः 11 बजे
स्थान: टीनू पब्लिक स्कूल, संगम विहार, दिल्ली-110062
देवदत्त आर्य-9810323883, रामफल खर्ब-9999162077, के.एल. राणा

33. रविवार, 21 अगस्त 2016, सायं 3.30 बजे
स्थान: आर्य समाज सेवा सदन, बल्लभगढ़, फरीदाबाद
संयोजक: जितेन्द्रसिंह आर्य-9210038065, प्रवीन गोयल-09873289899

34. शनिवार, 21 अगस्त 2016, सायं 5:00 बजे
स्थान: आर्य समाज सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-29
संयोजक: श्री प्रकाशवीर शास्त्री(9811757437) राहुल कश्यप(8826228261)

38 वां वार्षिक अधिवेशन व राष्ट्रीय आर्य युवा सम्मेलन

रविवार 4 सितम्बर, प्रातः 10 से सायं 5 तक, स्थान: आर्य समाज, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली-110060

सभी स्थानों पर यज्ञ, भजन, प्रवचन व यज्ञोपवीत संस्कार के कार्यक्रम होंगे सभी आर्य जनों, धर्म प्रेमी बन्धुओं व अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने निकट के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर युवाओं का उत्साहवर्धन करें

महेन्द्र भाई	रामकुमारसिंह आर्य	अरुण आर्य	आचार्य गवेन्द्र शास्त्री	शिशुपाल आर्य	सौरभ गुप्ता
मुख्य संयोजक	प्रान्तीय संचालक	प्रान्तीय महामंत्री	प्रान्तीय प्रभारी	प्रान्तीय उपसंचालक	प्रबंधक
9013137070	9868064422	9818530543	9810884124	9971550031	9971467978

कार्यालय : आर्य समाज कबीर बस्ती, दिल्ली-110007, फोन - 9868661680, 9312406810, 9868002130

मुम्बई में महामन्त्री महेन्द्र भाई व अरूण आर्य गुरूकुल करतारपुर में सम्मिलित हुए

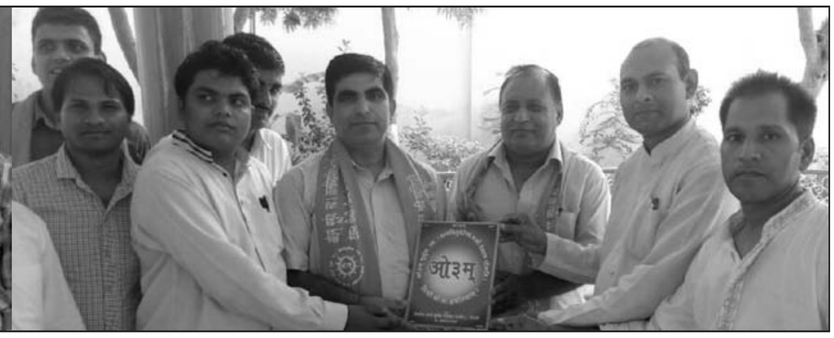

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेन्द्र भाई आर्य समाज, शान्ति नगर, मीरां रोड़, मुम्बई के सत्संग में सम्मिलित हुए व स्मारिका भेंट की, चित्र में–माता सन्तोष नांरग, पी.एस.सिंह एडवोकेट, पार्वती,डा. तारासिंह, मांगीलाल, परिषद् के महामन्त्री महेन्द्र भाई व रविन्द्रसिंह आर्य। श्री यशप्रिय आर्य, आचार्य शिवराज शास्त्री से भी भेंट की। द्वितीय चित्र–गुरूकुल करतारपुर, पंजाब के स्वामी विरजानन्द स्मारक शिलान्यास समारोह में स्नातक मण्डल के प्रधान श्री नरेन्द्र गांधी को सम्मानित करते दिल्ली प्रदेश के महामन्त्री अरूण आर्य, नन्दलाल शास्त्री आदि।

गुरूकुल करतारपुर के तत्वावधान में ''पंजाब प्रान्तीय आर्य महासम्मेलन'' सोल्लास सम्पन्न

पंजाब सरकार ''स्वामी विरजानन्द स्मारक'' के लिए देगी 15 करोड़ रूपये : हार्दिक बधाई

सार्वदेशिक सभा में परिषद् की बैठक सम्पन्न : युवा संस्कार अभियान पर जोर

रविवार, 17 जुलाई 2016, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् की राष्ट्रीय कार्यकारिणी व सक्रिय कार्यकर्ता बैठक दयानन्द भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. अनिल आर्य की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। शिविरों की समीक्षा, युवा संस्कार अभियान, राष्ट्रीय अधिवेशन, जनवरी 2017 के आर्य महासम्मेलन की व्यापक तैयारी पर विचार किया गया। इस अवसर पर श्रीमती मीनाक्षी–स्वतन्त्र कुकरेजा का अभिनन्दन किया गया।

आर्य समाजों के निर्वाचन

1. आर्य केन्द्रीय सभा गाजियाबाद के चुनाव में श्री सत्यवीर चौधरी–प्रधान, श्री योगेश आर्य–मन्त्री व श्री सन्तलाल मिश्र–कोषाध्यक्ष चुने गये।
2. आर्य केन्द्रीय सभा गुड़गांव के चुनाव में श्री लक्ष्मण पाहुजा–प्रधान, श्री प्रभुदयाल चौटानी–मन्त्री चुने गये।
3. आर्य समाज, राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली के चुनाव में श्री अशोक सहगल–प्रधान, श्री नरेन्द्र वलेचा–मन्त्री व श्री सतीश कुमार–कोषाध्यक्ष चुने गये।

अलवर में श्री छोटू सिंह आर्य क्रासकन्ट्री रेस

आर्य नेता श्री छोटूसिंह आर्य के 96वें जन्मोत्सव पर क्रास कन्ट्री दोड़ शनिवार, 13 अगस्त 2016 को प्रातः 6 बजे आर. आर. कालेज, अलवर से प्रारम्भ होगी।

– सम्पर्क सब्बलप्रताप सिंह, 09414249147

शोक समाचार: विनम्र श्रद्धांजलि

1. श्री मुन्शीराम सेठी (फरन्टीयर बिस्कुट) आयु–86 वर्ष का निधन।
2. डा.मालविका गुप्ता (पुत्र वधु डा.जे.पी.गुप्ता) का निधन।
3. श्री सुरेश नैय्यर (पंजाबी बाग विस्तार) का निधन।
4. श्रीमती लक्ष्मीदेवी कोहली (धर्मपत्नि श्री हरबंसलाल कोहली) का निधन।

सम्पादकः अनिल कुमार आर्य द्वारा केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के लिए मंयक प्रिटर्स,2199/63, नाईवाला, करोलबाग, दिल्ली-5 दूरभाष : 41548503 मो. : 9810580474 से मुद्रित व परिषद् कार्यालय आर्य समाज टी-176-177, कबीर बस्ती, दिल्ली-7 से प्रकाशित, प्रबन्धक : दिनेश आर्य, मोबाइल : 9911587765, देवेन्द्र भगत, मोबाइल : 09958889970